

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:- रा०खा०आ०(श्र०) टेलिफोन/ PDS - २७/२०२२ - ३०४
प्रेषक,

शबनम परवीन

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,

झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:-०५.०५.२०२३

विषय:- श्री बसंत साहु, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, मेन रोड, राँची के परिवाद में उल्लेखित आरोपों के जाँच के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक-236 दिनांक-३१.०३.२०२३
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री बसंत साहु का परिवाद-पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद-पत्र में देवघर जिला के DSD निविदा में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। DSD के निविदा में एक्साईज विभाग में कार्यरत वाहनों को मधुपुर एवं पालाजोरी प्रखण्ड के निविदादाताओं के वाहनों की सूची में डाले जाने का आरोप लगाया गया है। परिवाद-पत्र में तीन वाहनों का नम्बर भी अंकित है।

परिवाद-पत्र में DSD निविदा के अतिरिक्त FCI से JSFC के परिवहन अभिकर्ता द्वारा सारवाँ प्रखण्ड का 400 कर्वीटल चावल कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। परिवाद-पत्र में यह भी उल्लेखित है कि सारवाँ गोदाम का Computer Operator online receive कर लिया है और गोदाम मैनेजर से चालान receive कराने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन गोदाम मैनेजर श्री प्रेम मुर्मु receiving नहीं दे रहे हैं। यह भी कि दिसम्बर, 2022 का कई प्रखण्डों का गेहूँ कालाबाजारी कर दिया गया है, जिससे PDS दुकानदारों को दिसम्बर, 2022 का गेहूँ प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे लाभुक परेशान हैं। यह भी कि JSFC के परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा हर प्रखण्ड के लिए अपने संबंधियों से DSD का निविदा डलवाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक-पत्र द्वारा श्री श्यामनंदन सिंह वर्ग० का परिवाद-पत्र विभाग को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद-पत्र में भी दिसम्बर, 2022 के गेहूँ का बड़े मात्रा में कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था। उक्त परिवाद-पत्र में यह भी उल्लेखित था कि इस आशय का आवेदन बार-बार दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। अतः परिवाद-पत्र एवं प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मामले की गम्भीरता से जाँच कराया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

S. S. S.
५.५.२३
(शबनम परवीन)

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अध्यक्ष, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग
श्री हिमांशु शेखर चौधरी

सेवा में,

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निर्देशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालाय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निर्देशक,
उपायुक्त महोदय, देवघर

महाशय,

हमलोग देवघर निवासी जानकारी देना चाहता हूँ देवघर डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा में भारी हेरा-फेरी हो रहा है जिनका निविदा कम्पनी द्वारा स्वीकृत किया गया है उनका भी बेवजह कुछ-न-कुछ गलती निकाल कर कम्पनी को पुनः निविदा करने के लिये लिखा जाता है, वैसे देवघर जिला में डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा में कई प्रखंडों में देवघर जिला राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा अपने सम्बन्धियों द्वारा निविदा डलवाया गया है इनके द्वारा जो गाड़ी एक्साईज विभाग में कार्यरत है उन्हीं गाड़ी को दोबारा मधुपुर प्रखंड एवं पालाजोरी प्रखंड के लिये दिया गया है। (1) गाड़ी नं० JH10CM-6771 (2) गाड़ी नं० JH10CM-1391 (3) गाड़ी नं० JH10CM-6568 ये सभी गाड़ी एक्साईज विभाग में कार्यरत है, फिर भी इनके आवेदन को कम्पनी द्वारा स्वीकृति दी गई है जबकि राज्य खाद्य निगम के देवघर जिला के परिवहन अभिकर्ता देवघर जिला के सारवाँ प्रखंड के जन वितरण दुकानदारों का (400) चार सौ क्वी० अनाज कालाबाजारी में बेच दिया गया है। सारवाँ प्रखंड के श्री प्रेम मुर्मू गोदाम मैनेजर राज्य खाद्य निगम द्वारा सूचित किया गया है। परिवहन अभिकर्ता द्वारा उक्त मात्रा का गोदाम मैनेजर से चालान Receive कराना चाहते हैं। परन्तु गोदाम मैनेजर Receiving नहीं दे रहे हैं। सारवाँ के कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा उक्त मात्रा का Online कर दिया गया है। लगभग देवघर जिला के कई प्रखंडों में यही स्थिति है। इनका पहुँच बड़े-बड़े पदाधिकारियों तक है। देवघर जिला के कई प्रखंडों का अनाज कालाबाजारी में बेच दिये हैं। जैसे कि माह दिसम्बर 2022 में कई प्रखंडों के गेहूँ का कालाबाजारी कर दिये हैं। माह दिसम्बर 2022 में जनवितरण दुकानदारों को गेहूँ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर 2022 का गेहूँ इस महँगाई में नहीं मिल पाया। उपभोक्ता परेशान है। अगर इसकी जाँच निष्पक्ष हो तो हजारों क्वी० अनाज का देवघर जिला में कालाबाजारी जिला परिवहन अभिकर्ता, राज्य खाद्य निगम द्वारा किये जाने

क्रमशः.....

की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। देवघर जिला में गरीब निःसहाय लाभुकों के अनाज को कालाबाजारी करने के लिये राज्य खाद्य निगम के जिला परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा हर प्रखंड में डोर स्टेप डिलेवरी में अपने सम्बन्धियों से निविदा डलवा दिये हैं। अगर इन्हें निविदा स्वीकृत होगा तो सारे प्रखंड का अनाज कालाबाजारी में बेचवा देंगे।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सभी विषयों पर क्रमवार जाँच हेतु आदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी को दिया जाय ताकि सही जाँच हो सके। सबके पहले सारवाँ प्रखंड के राज्य खाद्य निगम के गोदाम का जाँच कराया जाय। सभी तथ्यों का यही से उजागर हो जायेगा किसी भी परिस्थिति में इनके सम्बन्धी द्वारा दिये गये डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा पर रोक लगाने का आदेश दिया जाय ताकि देवघर जिला के जनता को भुखमरी से बचाया जा सके।

विश्वासभाजन

(वसंत साहू)

अध्यक्ष

भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति

मेन रोड, झारखंड, राँची।

१८

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा०खा०आ० (शिकायत)– देवघर / PDS-29 / 2022 – 236
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:— 31.03.2023

विषय:— देवघर जिले में माह दिसम्बर 2022 के अनाज की कालाबाजारी करने
संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री श्याम नन्दन सिंह एवं
अन्य का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ताओं द्वारा देवघर जिले के देवघर
प्रखण्ड के माह दिसम्बर 2022 के गेहूँ को राशन डीलर के ई-पॉस मशीन में लोड करा दिये जाने
एवं उक्त मात्रा का अनाज डीलर को नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन अभिकर्ता एवं ऑपरेटर की मिलीभगत से अनाज की कालाबाजारी
का भी आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/3/23

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री (हेमन्त सोरेन जी)

झारखण्ड, राँची।

15

~~04~~
22.03.23

114

22/03/2019

सेवा में,

माननीय मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री रामेश्वर उराँव महोदय,

सचिव, खाद्य उवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

ડાયરેક્ટર, ખાદ્ય તુવં ઉપભોક્તા નિર્દેશાલય, ઝારખણ્ડ રાંચી।

सेवा में,

राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, झारखण्ड, राँची।

विषय : देवघर जिले के कई प्रखांडों में जिला आपूर्ति पदार्थ उन राज्य खाद्य निगम के ठेकेदार के मिली शर्त से माह दिसम्बर 2022 के हजारों की 10 लाख डीलर को नहीं देकर बाजार में बेचकर करोड़ों लाखों वसूली के सम्बन्ध में।

महाशय,

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि इसकी जाँच हेतु शीघ्र ही आदेश देने की कृपा की जाय। जिला आपूर्ति पदार्थ देवघर के विस्तृत कानूनी कारबाह कर देवघर जिला से हटाने हेतु आदेश दिया जाय। देवघर प्रखण्ड के जनता का त्राहीमाम् संदेश।

प्रतिलिपि : सम्पादक महोदय, देवघर, ~~हिंदुकुला~~
पेपर ~~संस्कृत~~ को सूचनार्थी।

विश्वासभाजन

१ एप्रिल नवंबर द्वितीय
२ सितारा पद कास

- (३) घुटन टास
- (४) अखवाह असारी
- (५) रामप्रिय मंडल
- (६) सुरेश मरांडी
- (७) खराज असारी
- (८) कुपा भरांडी
- (९) कामी मंडल
- (१०) धनेश्वर मंडल

विद्यायक ने रोहिणी-बिरनिया पथ निर्माण व गेहूं आवंटन की मांग उठायी

मुख संवादसत्र, देवघर

विधानसभा में शून्यकाल सत्र के दैर्घ्यमन देवघर विद्यायक नामपत्र दस ने रोहिणी से कपासिया, बिरनिया, बाघमरी व जीतपुर पथ निर्माण की मांग उठायी। विद्यायक ने कहा कि यह पथ काफी जरूर हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी है। इस ग्रामीण क्षर्य विभाग के पथ को पीढ़बलूदी में तब्दील करते हुए नये रिसे से निर्माण करना जारी, जिससे जरीबीह से रोहिणी बिरनिया होते हुए देवघर जाने का

एक नया और बेहतर मार्ग मिल पायेगा। वहीं विद्यायक ने विधानसभा में देवघर जिले में लागुकों को दिसंबर माह का गेहूं नहीं मिलने का मायला उठाया है। विद्यायक ने सदन को अवगत कराया कि डीलरों की मरीन में गेहूं का स्टॉक दिख रहा है तथा विभाग भी डीलरों का गेहूं निकाय करने के लिए कह रहा है, जबकि हकीकत है कि आवंटन ही उपलब्ध नहीं करता गया है।

